बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ० बजट–प्राक्कलन–01/2017– 3952 /कृ०, पटना, दिनांक 10-10-2017

MAIL/FAX प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक उद्यान/भूमि संरक्षण/पी०पी०एम० बिहार, पटना/अपर निदेशक, (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/(कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना/(कृषि अभियंत्रण) कर्मशाला पटना/(कृषि अभियंत्रण) पोस्ट हार्वेस्ट बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (रसायन) मिट्टी जाँच /गुण नियंत्रण/कम्पोस्ट एवं वायोगैस बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य)–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णियाँ/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा/तेलहन/सूचना/ बीज निरिक्षण / बीज विश्लेषण/बीज परिक्षण/टाल दियारा चौड़ विकास बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) कृषि अभियंत्रण कर्मशाला/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/उद्यान/ उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी मुजफ्फरपुर–सह–प्रचार्य/सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)/सभी सहायक निदेशक (रसांयन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/प्रशासी–सह–लेखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/प्रशासी–सह–लेखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग बिहार, पटना।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरिक्षित प्राक्कलन भेजने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश।**

प्रसंगः– **वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांकः–1015 दिनांक–22.09.2017।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट प्राक्कलन एवं 2017–18 का पुनरिक्षित प्राक्कलन तैयार करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है:–

1. **वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राक्कलनः–** विभागेां द्वारा गत तीन वर्षो के वास्तविक व्यय एवं अन्य विश्वस्त कारकों को ध्यान में रखकर बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना है। बजट को वास्तविक परक वनाया जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि उतनी ही राशि का बजट में प्रावधान कराया जाना चाहिए, जितनी राशि का व्यय होना संभावित है। किसी भी उपशीर्ष में राशि का प्रावधान करने के समय यह देखने की आवश्यकता है कि पूर्व के वर्षो में उन उपशीर्षो पर कितनी राशि व्यय हुई है, और बचत कितनी है। राशि बचत नहीं हो ऐसा ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर ही बजट प्राक्कलन उपशीर्ष में किया जाना है।

2. **कार्यरत बल के लिए वेतन एवं जीवन–यापन भत्ताः–** स्थापना के लिए राशि का आकलन कार्यरत बल के आधार पर किया जाय। वेतन में मार्च से जून तक के लिए वर्तमान वेतन और जुलाई से फरबरी तक के लिए 3 प्रतिशत बार्षिक वृद्धि को जोड़कर गणना की जाय। वर्तमान में जीवन–यापन भत्ता 4 प्रतिशत दिया जा रहा है। एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में 10 प्रतिशत तक का बजट प्रावधान किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मकान किराया भत्ता की गणना वर्ष 2017–18 में मकान किराया भत्ते, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्तों की गणना राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 2018–19 में प्राक्कलित की जाय। स्थापना से भिन्न व्यय को वर्ष 2018–19 के पूर्व के 3 बर्षो के औसत वास्तविक व्यय के स्तर या उससे आवश्यकता अनुसार कम से कम रखा जाय। अगर किसी कारण से अधीक राशि आपेक्षित है तो उसका विस्तृत औचित्य अभ्युक्ति कॉलम (प्रपत्र–i) में अवश्य स्पष्ट किया जाय।

4. **परिणाम बजटः–** विभाग के अधीन राज्य स्कीम, केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, वाह्य सम्पोषित परियोजनाओं की राशि एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत जिन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित है, उसका भौतिक लक्ष्य/अन्य मात्रात्मक (Quantifiable) सूचनाओं के साथ परिणाम बजट के रूप में अलग से उपलब्ध कराया जाय। सूचना निर्धारित प्रपत्र–V में दी जाय।

5. **जेन्डर बजटः–** जिन परियोजनाओं से महिलाओं को लाभ हो रहा है, उसमें कितनी राशि व्यय होने वाली है, और क्या भौतिक लक्ष्य प्राप्त होगा, उसे स्पष्ट किया जाय (प्रपत्र–Vi)। इस संदर्भ में दो श्रेणियों गें विवरण उपलब्ध कराया जायः–

i- वैसी परियोजनाऐं जिसमें 100 प्रतिशत राशि महिलाओं पर व्यय की जा रही है एवं
ii- वैसी परियोजनाऐं जिसमें 30 प्रतशत या उससे अधीक राशि महिलाओं पर व्यय की जा रही हैं।

6. <u>राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ</u>:– इसमें बजट प्राक्कलन में वैसी राशि जो पिछले वर्षों की बकाया राशि है। उसे अलग से अंकित किया जाय और यह भी स्पष्ट किया जाय की उसमें से कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त होगी। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जो विशेष उपाय किये जाने प्रस्तावित है। उनका विवरण एवं प्राप्त होनेवाली राशि को अलग से अभ्युक्ति कॉलम (प्राप्तियाँ प्रपत्र–i) में स्पष्ट कर दिया जाय।

7. **गाड़ियाँ, दुरभाष, मोबाईल, बर्दीधारी कर्मियों की सूचना**:–जिस उपशीर्ष में वाहनों के ईंधन/रख–रखाव, दुरभाष, मोबाईल पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता हो, उक्त उपशीर्ष में कितनी गाड़ियाँ, दुरभाष, मोबाईल प्रयुक्त हो रहे हैं, इसकी सूचना अंकित की जाय (प्रपत्र–i)। इसी प्रकार वर्दीधारी कर्मियों की संख्या भी अंकित की जाय।

8. <u>स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची</u>:– प्रत्येक कोटि के स्वीकृत एवं कार्यरत वल की संख्या संलग्न कर (प्रपत्र–ii) भेजी जाय। प्रशासी विभाग के नियंत्राधीन निगम/वोर्ड/वाणिज्यिक संस्थाओं/विश्वविद्यालयें/अन्य सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या तथा वेतनादि ब्यौरा संबंधित (प्रपत्र–iv) में दी जाय।

9. <u>विपत्रकोड</u>:– प्रत्येक उपशीर्ष के लिए निर्धारित विपत्रकोड का इस्तेमाल बजट प्राक्कलन में अवश्य अंकित किया जाय।

10. नवसृजित संयुक्त निदेशक (शष्य)/ उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (उद्यान)/सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)/सहायक निदेशक (उद्यान) अपने कार्यालय के स्थापना का बजट तैयार कर भेजेंगे ताकि उनके लिए भी बजट उपबंध कराया जा सके।

11. वित्तीय वर्ष 2018–19 से आय–व्ययक में योजना एवं गैर योजना के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

12. **<u>प्राक्कलन भेजने की निर्धारित तिथि</u>**:– वर्तमान में आय–व्ययक से संबधित चालू **CTMIS Software** को **CFMS** में परिवर्तित किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। **CTMIS Software** में विहित सूचना की **Online** प्रबिष्टि दिनांक–16.10.2017 से की जाएगी।

अतएव उपरोक्त निर्धारित तिथि के पूर्व दिनांक–12.10.2017 तक अपने एवं अधिनस्थ कार्यालयों का बजट प्राक्कलन तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि विभागीय स्तर पर संकलित बजट प्राक्कलन वित्त विभाग एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

<u>अनुलग्नक–प्रपत्र I, II, IV, V, VI प्राप्तियाँ प्रपत्र:–I</u>

विश्वासभाजन,

(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3952 /कृ॰, पटना, दिनांक 10-10- 2017

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई०टी० मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ANNEXURE- I

ESTIMATE OF RECEIPTS

Administrative Department.. SAO / DDO..

(Rs. in thousands)

Head of account	Object Head Code	Object Code Description	Actuals			B.E. Current Year	Actuals		R.E. Current Financial year		B.E. Ensuing Financial year		Remarks
			Preceding Year - III	Preceding Year - II	Preceding Year - I		Up to 1st Six Month of preceding year-I	Up to 1st Six Month of current year	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Signature and Designation of Controlling Officer

Date

ANNEXURE - IV
(RULE 35(E))
BUDGET YEAR : 2018-2019
STATEMENT OF EXPENDITURE PROPOSALS FOR BUDGET DISCUSSION (ANNUAL SCHEME / ESTABLISHMENT AND COMMITTED)

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT- SAO/DDO.. ....

Demand No: Major Head : Submajor Head:

Minor Head: Subhead: (Rs. in thousands)

Object Head Code	Object Code Description	Actuals				Actuals		R.E. Current year		B.E. Ensuing year		
		Preceding Year -III	Preceding Year - II	Preceding Year - I	B.E. Current Year	Up to 1st Six Month of preceding year-I	Up to 1st Six Month of current year	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(a) Pay of Officers/ Emp.											
	Pay											
	(b) Other											
	Award											
	Medical reimbursement											
	Travelling Expenses											
	Office expenses											
	Others											
	Grand Total											

Notes:

Signature and Designation of Controlling Officer

Date

1. Separate forms Shall be filled for each Sub Head / Bill code.
2. Separate forms Shall be filled for Establishment and Committed, State Scheme, Centrally Sponsored Schemes and Central Sector Scheme
3. "Voted" and "Charged" Itemds should be shown separately.

ANNEXURE - V
(RULE 35(I))
BUDGET YEAR :2018-2019
DETAILS OF POSTS / NOMENCLATURE - DETAILS OF SANCTION AND WORKING STRENGTH STATEMENT

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT - SAO/DDO...

Demand No/ Appropriation No:

Major Head : Submajor Head:

Minor Head: Subhead:

(Rs. in Rupees)

Sl No	Classification of Posts (Group-A, B, C, D)	Designation	Preceding Year No. of Posts Total Sanction Post	Preceding Year No. of Posts Total Working Post	Current Year No. of Posts Total Sanctioned Posts up to 1st Sept of Current Year	Current Year No. of Posts Total working Post up to 1st Sept of Current Year	Difference (7-5)	Pay Band	Grade Pay	Pay 0101	Special Pay 0102	D.A 0103	HRA 0104	TA 0105	MA 0106	OA 0107	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

TA – Travelling Allowance; MA – Medical Allowance; OA – Other Allowance

No. of Employees eligible for uniforms:-

Notes:

01. Separate forms shall be filled for separate bill code.

02. "Voted" and "Charged" Itemds should be shown separately.

Signature and Designation of Controlling Offic

Date

ANNEXURE-VI

DEPARTMENT-WISE INFORMATION ON CONTRACTUAL EMPLOYEES AS ON DATE ....

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT.. SAO/DDO..

(Rs. in thousands)

Sl. No.	Name of Office / Establishment	Name of the Post(s)	Number of Post(s)	G.O. No. & Date in which post(s) has been created	Mode of Engagement of Date		Prescribed contractual remuneration	Scale of pay of the post	Remarks
					Direct Engagement	Engagement through service provider / agency			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10